

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 146/2016/उदयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत-‘बी’, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स यश एन्टरप्राइजेज, झाड़ोल, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30/01/2017

निर्णय


1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा गया है) के अपील संख्या 11/वेट/15-16/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.07.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2011-12 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.02.2014 को पारित किया गया था, जिसमें राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 18(3A) का उल्लंघन मानते हुए आउटपुट टैक्स से इन्पुट टैक्स को कम मानकर आई.टी.सी. क्लेम को कम किया गया था जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत-डी, उदयपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) के आदेश को अपास्त किया गया था जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी सीमेन्ट का क्रय-विक्रय करते हैं। कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह लिखा गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल के विक्रय में प्रोफिट कम दर्शाकर इन्पुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को बराबर दर्शा दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने लाभांश कम बताया है जिससे आउटपुट टैक्स कम बताया है। इस आधार पर दिनांक 09.03.2011 के पश्चात अधिनियम की धारा 18(3A) के तहत कुल रूपये 2,15,550/- की आई. टी.सी. कम देकर मांग सृजित की गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह बताया गया कि उनका इन्पुट टैक्स आउटपुट टैक्स से अधिक नहीं है बल्कि माल का विक्रय लाभ के साथ किया गया है, उस तथ्य के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया है।



लगातार.....2

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत है परन्तु कर निर्धारण आदेश में जो तथ्य अंकित हैं, उसके अनुसार धारा 18(3A) लागू नहीं होने के बारे में कोई तर्क नहीं दिया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने स्वैच्छा से केवल अनुमान के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कम लाभ दिखाया जाना बताया है। प्रथम तो बिना किसी आधार के यह निश्चय करना गलत है कि लाभ कम बताया है एवं यदि यह अवधारणा मान भी रहे हैं तो उस हालत में भी प्रत्यर्थी व्यवहारी की विक्रय राशि को बढ़ाया जाना चाहिये था न कि उसके खरीद राशि पर आई.टी.सी. पर कोई प्रभाव दिया जा सकता है। इस प्रकार मूल रूप से ही आई.टी.सी. की राशि को कम किया जाने का निर्णय ही त्रुटिपूर्ण है यदि लाभ ज्यादा मानते हैं तो उसकी विक्रय राशि बढ़ती न कि क्रय राशि कम की जाती।
7. अधिनियम की धारा 18(3A) में आई.टी.सी. का क्लेम आउटपुट कर से अधिक नहीं दिये जाने का प्रावधान किया गया है वह भी उन परिस्थितियों में जब किसी व्यवहारी को अपने विक्रय पर सब्सिडी प्राप्त हो गई हो तथा उसका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से अधिक नहीं हो। इस प्रकरण में ये तथ्य भी नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आउटपुट राशि से न तो इनपुट राशि अधिक है एवं न ही उसका विक्रय मूल्य खरीद मूल्य से कम है। इस तरह बिना किसी तथ्यों के स्वैच्छा से वेट अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध आई.टी.सी. का क्लेम कम किया जाना अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण आदेश को अपास्त किया है जिसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


 25/1/2017
 (के. एल. जैन)
 सदस्य